28/8/25	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। वकील प्रार्थी उप०। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी/प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा०कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दा०खिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

राजस्थान — सरकार
न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड, जिला, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा
(R.A.S.)

राजस्व प्रा0 पत्र सं. :–16
तारीख दायर :– 07 / 05 / 2025
तारीख निर्णय :– 28/08 / 2025

।। उनवान।।

1. बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम उम्र – 75 साल जाति अहीर निवासी ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड

—— प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थितः– श्री आर0डी0 दौचाणिया वकील प्रार्थी

–: निर्णय :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि मिन प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम जाति अहीर निवासी शेरपुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड (राज) है प्रार्थी के आधार कार्ड कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, बैंक खाता, पेनकार्ड तथा कुछ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम सही दर्ज है। मेरी ग्राम शेरपुर की आराजी हाल खाता सं. 439, 395 व 392 में बृजू पुत्र नत्थूराम दर्ज है तथा खाता स. 168 में बिरजू पुत्र नत्थुराम खाता स. 190 में बृजूराम पुत्र नत्थुराम दर्ज है जो गलत है और काबिज दुरूस्ती है। इसी प्रकार ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख के खाता सं. 353 में बिरजू पुत्र नाथाराम व खाता सं. 235 में बिरजू पुत्र नत्थुराम दर्ज है जो गलत है और काबिज दुरूस्ती है। उक्त नाम सही किये जाने बाबत हल्का पटवारी तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं श्रीमान तहसीलदार साहब, बहरोड की रिपोर्ट पूर्व में आ चुकी है जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी की राजस्व भूमि में जहां पर भी बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम के अलावा जो अन्य नाम दर्ज है उसको सही किया जाना न्यायोचित है तथा बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम, वृजु पुत्र नत्थुराम, तथा बृजूराम पुत्र नत्थुराम एक ही व्यक्ति के नाम है और कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जबकी मेरा सही नाम बृजलाल पुत्र श्री नत्थुराम है। मेरे इसी नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल किया

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)

जाना न्यायोचित है। श्रीमान ग्राम शेरपुर की आराजी में वर्तमान खाता सं0 439, 395, 392, 168, 190 तथा ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख के खाता सं0 353 व 235 मे सही नाम बृजलाल पुत्र नत्थुराम जाति अहीर निवासी शेरपुर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रिकार्ड कर अप्रार्थीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चाहे गये अनुतोष स्वीकार करने मे कोई राज्य हित प्रभावित नही होता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल हाल जमाबन्दी , परिवार राशन कार्ड , पहचान पत्र , आदि पेश किये है।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयात मे बिरजु पुत्र नाथाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड , व वादी द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड व मे प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र नत्थुराम अंकित है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारित किया गया है। चुंकि प्रकरण इस धारा के अन्तर्गत संधारित होता है। क्योकि इस धारा मे पूर्व मे दर्ज इन्द्राज मे किये गयें लिपिकीय /लेखीय त्रृटियों को दुरस्त किये जाने के प्रावधान है। यह प्रार्थना पत्र इन नियमों मे संधारित योग्य पाये जाने के कारण काबिल स्वीकार है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 काश्तकारी स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किये जात है कि बाबत ग्राम शेरपुर की आराजी में वर्तमान खाता सं0 439 में बृजू पुत्र नत्थूराम एवं खाता सं0 395 में बृजू पुत्र नत्थूराम एवं खाता सं0 392, में बृजू पुत्र नत्थु एवं खाता सं0 168, में बिरजु पुत्र नत्थूराम व खाता सं0 190 बिरजू पुत्र नत्थूराम तथा ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख के खाता सं0 353 में बिरजू पुत्र नाथाराम व खाता सं0 235 में बिरजू पुत्र नत्थूराम का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर बृजलाल पुत्र नत्थुराम जाति अहीर निवासी ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार बहरोड को अहकाम जारी हों।

आज दिनांक 28/8/25 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रामकिशोर मीणा)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड़)